

152

152

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर केम्प कोर्ट भोपाल

प्र0क्र0 / / निगरानी / 2013

21-6265  
22-413

सीताशरण शर्मा आ0 स्व. श्री रामलालजी शर्मा  
उम्र 60 वर्ष,  
निवासी-देशबन्धुपरा इटारसी  
तह0 इटारसी जिला होशंगाबाद

---पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

2-1687-I/13

- 1- श्रीमती शशि शर्मा,पुत्री स्व. श्री रामलाल शर्मा एवं पत्नि स्व. नवीनचन्द्र पालीवाल सेन्ट्रल बैंक के पास होशंगाबाद
- 2- योगेशचन्द्र पालीवाल वल्द छोटेलाल पालीवाल(मृतक) वारिसान-
  - (1) श्रीमती सुभद्रा पत्नि स्व. योगेशचन्द्र पालीवाल
  - (2) अनीस
  - (3) विवेक

क्रमांक 1501

राजस्व अपील क्रमांक 18/अपील/11-12 में पारित आदेश दिनांक 27.02.2013 (श्रीमती शशि शर्मा बनाम सीताशरण शर्मा एवं अन्य) से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर पुनरीक्षण प्रस्तुत कर रहा है।

दिनांक 22/4/13 को प्राप्त

क्रमांक 1501

राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर केम्प

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959

---उत्तरवादीगण

माननीय महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता सीताशरण शर्मा की ओर से सविनय निवेदन है कि:-

यह कि पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी इटारसी के राजस्व अपील क्रमांक 18/अपील/11-12 में पारित आदेश दिनांक 27.02.2013 (श्रीमती शशि शर्मा बनाम सीताशरण शर्मा एवं अन्य) से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर पुनरीक्षण प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि उत्तरवादी क्रमांक-01 श्रीमति शशि शर्मा की ओर से रिवीजनकर्ता सीताशरण शर्मा एवं स्व. योगेश चन्द्र पालीवाल जिनकी की मृत्यु दि-27.09.2004 को हो चुकी है के विरुद्ध नामान्तरण पंजी क्रमांक 55 दिनांक 15.10.1996 प्रमाणित दिनांक 20.10.1996 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी इटारसी में राजस्व अपील क्रमांक 18/अपील/2011-12 दिनांक 28.02.2012 को विलम्ब माफी किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 05 अवधि विधान के साथ प्रस्तुत की है।



2- यह कि उक्त अपील के विचारण के दौरान पुनरीक्षणकर्ता सीताशरण शर्मा, की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का एक आवेदन पत्र दिनांक 17.07.2012 को प्रस्तुत किया गया कि उत्तरवादी क्रमांक 02 श्री योगेश चन्द्र पालीवाल

*[Handwritten signature]*

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्र

प्रकरण क्रमांक R-1687-2/13

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> रीड</p> <p> अध्यक्ष</p>	